

महत्वपूर्ण

संख्या : शिक्षा-एच(25)बी(15)सामान्य निर्देश
निदेशालय उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश

दिनांक शिमला-171001,

12-06-2018

सेवा में

1. समस्त उप निदेशक उच्च शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश ।
3. समस्त जांच अधिकारी,
उच्चतर शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश ।

विषय:-


विभागीय जांच पड़ताल बारे दिशा निर्देश ।

ज्ञापन:

सचिव(शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: नि.स.शिक्षा/विविध/2018, दिनांक 07.06.2018 जिसके अर्न्तगत सरकार द्वारा विभागीय जांच पड़ताल को समय पर पूर्ण न करने बारे कड़ा संज्ञान लिया है । अतः इस विषय में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि:-

1. लम्बित आपराधिक मामलों में बिना विलम्ब दिनांक 15.06.2018 तक प्राथमिकी सूचना दर्ज करवाई जाए। जिन अपराधिक मामलों में विभागीय जांच चल रही है तथा पहले प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाई गई है उन सभी मामलों में भी तुरन्त प्राथमिकी दर्ज करवाई जाए तथा 15 जून तक यह रिपोर्ट मिल जानी चाहिए कि सभी आपराधिक मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है।
2. जिन मामलो में विभागीय प्रारम्भिक जांच लम्बित है, को दैनिक आधार पर निपटारा करके 20.06.2018 तक पूर्ण रिपोर्ट इस निदेशालय को प्रेषित करें।
3. जिन मामलों में विभागीय जांच कई वर्षों से लम्बित है उन मामलों में तुरन्त जांच पूरी की जाए अन्यथा विभागीय जांच पूरी नहीं करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही शुरू की जाएगी।
4. जिन मामलो में विभागीय जांच CCS(CCA) Rule 1965 के नियम 16 के अर्न्तगत लम्बित है, को भी दैनिक आधार पर निपटारा करके 20.06.2018 तक इस निदेशालय को प्रेषित करें। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसे के गवन के मामले में कहीं नियम 16 के अर्न्तगत आरोप की जांच तो नहीं चल रही है। इन मामलो को अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में तुरन्त लाया जाए।
5. जिन कर्मचारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमिताओं हेतु मामले चल रहे हैं तथा वे उसी कार्यालय में कार्यरत हैं, की सूचना तुरन्त इस निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध करवाएं ताकि उनका कार्य स्थान बदला जा सके।
6. जिन कर्मचारियों के विरुद्ध POCSSO/ sexual harassment at work place के मामले चल रहे हैं तथा वे उसी कार्यालय में कार्यरत हैं, की सूचना तुरन्त इस निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध करवाएं ताकि उनका भी कार्य स्थान बदला जा सके। तथा इन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करवाते समय निवेदन किया जाए कि मामले को IPC की धारा 120 बी के अर्न्तगत लाया जाए।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि मामले में व्यक्तिगत रुची लेते हुए उपरोक्त सूचना को अविलम्ब निदेशालय को उपलब्ध करवाएं ताकि समय रहते वस्तु स्थिति से सरकार को अवगत करवाया जा सके ।


निदेशक उच्च शिक्षा